बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
अधिसूचना

दिनांक :– 16/07/26

03/एम0एम0(बा0)–08/2026–........................../एम०, K-भण्डारण अनुज्ञप्ति पर धर्मकाँटा को टैग करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–4017, दिनांक–23.07.2025 से NIC को सभी जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर ही K-भण्डारण अनुज्ञप्ति पर धर्मकाँटा का टैगिंग करने का निदेश दिया गया है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2026 के नियम– 39 (1) का प्रावधान निम्न हैः–

नियम–39(1) – प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी लीज धारित क्षेत्र से बाहर लघु/वृहद् खनिज का व्यवसाय चलाता है, खनन अधिकारी से प्रपत्र ''ट'' में भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा, जिसे व्यवसाय के सहजदृश्य स्थल पर दर्शाया जाएगा और सभी ऐसे खनिजों क्रय और विक्रय का समुचित लेखा एक रजिस्टर में प्रपत्र ''ज'' में संधारित किया जाएगा। जिसके निरीक्षण के लिए खान आयुक्त, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान एवं उप निदेशक, खान या खनन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा। व्यवसाय के आकार के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का शुल्क/आवश्यक शर्त्त निम्न प्रकार होगाः–

(क) लघु व्यवसायी – भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर अधिकत्तम 25,000 (पच्चीस हजार) घनफीट लघु खनिज के भण्डारण के लिए ₹5,000/– (रूपये पाँच हजार) आवेदन शुल्क के भुगतान पर एक पंचांग वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी, जिसे प्रत्येक वर्ष आवेदन शुल्क ₹5,000/– (रूपये पाँच हजार) के भुगतान पर नवीकृत किया जा सकेगा। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारण स्थल पर CCTV कैमरा अधिष्ठापित कर लेने की स्थिति में एक ही बार में पाँच वर्ष के लिए ₹20,000/– (रूपये बीस हजार) के आवेदन शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी।

(ख) मध्यम व्यवसायी – भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर 25,000 (पच्चीस हजार) घनफीट से 1,00,000 (एक लाख) घनफीट तक लघु खनिज के भण्डारण के लिए ₹50,000/– (रूपये पचास हजार) आवेदन शुल्क के भुगतान पर पाँच वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर CCTV कैमरा तथा स्वयं का धर्मकाँटा अथवा संयुक्त धर्मकाँटा अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो सार्वजनिक धर्मकाँटा का भी उपयोग कर सकता है, पर इसके लिए उस धर्मकाँटा को CCTV कैमरा (विभाग से सम्बद्ध) लगाना अनिवार्य होगा।

P.T.O.

(ग) वृहद् व्यवसायी – भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर 1,00,000 (एक लाख) घनफीट से 10,00,000 (दस लाख) घनफीट तक लघु खनिज के भण्डारण के लिए ₹2,00,000/– (रूपये दो लाख) आवेदन शुल्क के भुगतान पर पाँच वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर धर्मकाँटा एवं CCTV कैमरा अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) कहीं और उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, कोई तथा सभी अधिष्ठापित धर्मकाँटा एवं CCTV कैमरा को विभागीय पोर्टल से एकीकृत करना अनिवार्य होगा।

परंतु मध्यम व्यवसायी श्रेणी एवं वृहद् व्यवसायी श्रेणी के लिए प्राप्त भण्डारण अनुज्ञप्ति क्रमशः 10,000/– (दस हजार मात्र) रुपये एवं 50,000/– (पचास हजार मात्र) रुपये के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाएगा।

2– साथ ही ई–चालान निर्गमन के संबंध में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–43 का प्रावधान निम्नवत है :–

परिवहन पर निषेध – कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रपत्र–'छ' में या विहित प्रपत्र में वैध पारगमन पास/चालान/ई–चालान अपने पास रखे बिना, परिवहन नहीं करेगा या करवायेगा अथवा ले जाएगा।

उल्लेखनीय है कि VLTS प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिलान्तर्गत K-भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति स्थलों पर Geo-fencing कराया जाना आवश्यक है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2026 के नियम– 84 ''निदेश जारी करने की शक्ति'' के तहत विभाग खनिज निक्षेपों के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, सतत विकास एवं पर्यावरण के संरक्षण के हित में अथवा इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए खनन पट्टा/बंदोबस्ती/किसी अनुज्ञप्ति/परमिट के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा धारक को आवश्यक निदेश जारी कर सकता है।

अतः नियम– 84 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए K-भंडारण अनुज्ञप्ति के Geo-fencing के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विनिर्देश जारी किये जाते है :–

i. भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल और/या धर्मकाँटा के Geo-fencing हेतु सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक के माध्यम से अनुज्ञप्ति स्थल और/या धर्मकाँटा के Corner Point का GPS युक्त फोटोग्राफ्स के आधार पर Geo-cordinate की विवरणी प्राप्त कर Geo-fencing कार्य पूर्ण करने हेतु संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। Geo-fencing का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित अनुज्ञप्ति स्थल और/या धर्मकाँटा का Geo-fencing

स्वतः सक्रिय करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था NIC द्वारा किया जाएगा।

ii. लघु व्यवसायी K-भंडारण अनुज्ञप्ति के मामले में भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल का Geo-fencing कंडिका– (i) में वर्णित रीति से कराया जाना अनिवार्य होगा।

iii. मध्यम व्यवसायी के मामले में अधिष्ठापित स्वयं का धर्मकाँटा/संयुक्त धर्मकाँटा अथवा सार्वजनिक धर्मकाँटा का Geo-fencing कंडिका– (i) में वर्णित रीति से कराया जाना अनिवार्य होगा।

iv. वृहद् व्यवसायी के मामले में भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल एवं भंडारण स्थल पर अधिष्ठापित धर्मकाँटा को एक परिक्षेत्र मानकर Corner Point का Geo-cordinate की विवरणी प्राप्त कर Geo-fencing कंडिका– (i) में वर्णित रीति से कराया जाना अनिवार्य होगा।

v. भौगोलिक परिस्थितियों अथवा अन्य तकनीकी कारणों से भंडारण स्थल से ई–चालान निर्गत नहीं होने पर जिला खनन कार्यालय से प्राप्त औचित्य सहित अनुशंसा के आधार पर विशेष परिस्थिति में विभाग द्वारा Buffer Range का निर्धारण किया जाएगा।

3– यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

4– प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 03/एम0एम0(बा0)–08/2026–................/एम0, पटना, दिनांकः–................
प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 03/एम0एम0(बा0)–08/2026–................/एम0, पटना, दिनांकः–................
प्रतिलिपिः– सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 03/एम0एम0(बा0)–08/2026–1612/एम0, पटना, दिनांकः–16/07/26
प्रतिलिपिः– प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, NIC/ आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/26

सरकार के अपर सचिव